नगर पालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की स्थगित बैठक जो आज दिनांक–18.03.2016 को सम्पन्न हुई, की कार्यवृत्ति

नगर पालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की पूर्व में स्थगित बैठक आज दिनांक–18.03.2016 को पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार सम्पन्न हुई। बैठक आरम्भ करने से पूर्व सदन में उपस्थित 35 मा0 सभासद एवं उपस्थित नगर मजिस्ट्रेट (श्री उमाकान्त त्रिपाठी) एवं पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों का मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए पालिका प्रभारी अधिशासी अधिकारी श्री ओम प्रकाश यादव को बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु मा0 अध्यक्ष श्री दिनेश टण्डन द्वारा आदेशित किया गया। मा0 सभासद श्री नन्दलाल यादव ने सदन को बताया कि इस पालिका के कार्यरत कर्मठ कर्मचारी श्री इरशाद हुसैन (पप्पू) की सेवाकाल में दिनांक 21.12.2015 को हुए आकस्मिक निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा जाय। इस पर मा0 अध्यक्ष ने कहा कि यह आवश्यक है, पहले शोक सभा कर ली जाय, उसके बाद पॉच मिनट के बाद बैठक की कार्यवाही आरम्भ की जाय। इस पर सदन में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर मृत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु दो मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की गई, तदोपरांत पॉच मिनट के बाद बैठक की कार्यवाही की गई।

प्रस्ताव	निर्णय
प्रस्ताव सं0 1 समितियों के चुनाव पर चर्चा।	प्रस्ताव संख्या–1 पढ़ा गया जो समितियों के गठन पर चर्चा से सम्बन्धित है, इस पर मा0 सभासद श्री आफाक व इरशाद मंसूरी द्वारा कहा गया कि दिनांक 19.03.2016 को 10.00 बजे से नामांकन करने एवं तदोपरान्त नाम वापसी लेने तथा दिनांक 21.03.2016 को चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसे सदर में सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।
प्रस्ताव सं0 2 अवस्थापना निधि के व्यय पर विचार।	प्रस्ताव सं0 2 सदन में पढ़ा गया जो अवस्थापना निधि से व्यय करने के सम्बन्ध में। इस पर मा0 सभासद श्री नन्दलाल द्वारा पूर्व में बैठक यह कहा गया था जितनी भी धनराशि थी उसका उपयोग किस–किस मद में करते हुए व्यय किया गया है। इसी क्रम में श्री मुकेश सिंह मा0 सभासद ने जानकारी चाही कि क्या पूर्व में अवस्थापना एवं चौदहवां वित्त से टेण्डर किया गया है ? श्रीमती गार्गी सिंह, मा0 सभासद ने कहा कि अवस्थापना निधि में आप सदस्य हैं, हम आपके साथ हैं। श्री नन्दलाल यादव, मा0 सभासंद ने कहा कि 12/13/चौदहवां वित्त/अवस्थापना निधि क्या बोर्ड में निहित है, इसका व्यय किया जा सकता है ? इस पर लेखाकार द्वारा शासनादेश पढ़कर सदन में सुनाया गया। शासनादेश सुनकर सदन मे उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा सरकार/शासन को पालिका परिषद (बोर्ड) की तरफ से हार्दिक बधाई दी गई।
प्रस्ताव सं0 3 नामान्तरण संबंधी विवादित पत्रावलियों पर विचार।	प्रस्ताव सं0 3 सदन में पढ़ा गया जो नामान्तरण/कर निर्धारण से सम्बन्धित विवादित पत्रावलियों की सुनवाई का अधिकार दिये जाने से सम्बन्धित है। इस पर मा0 सभासद श्री नन्दलाल यादव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री पेपर लेकर आता है तो उसके अनुसार नामान्तरण का क्या नियम है ? इस पर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि नामान्तरण शुल्क जमा कर 35 दिनों के अन्दर नामान्तरण किया जाता है। इस पर पुनः मा0 सभासद ने कहा कि नामान्तरण करानें में 35 दिन से अधिक समय लिया जाता है, इस पर मा0 अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कार्य अगर हो रहा है तो वह गलत है और पालिका अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए ऐसा न करने हेतु अंतिम आदेश दिया। मा0 सभासद श्री नन्दलाल द्वारा कहा गया कि कर विभाग की पत्रावली संख्या 200 जो मछरहट्टा वार्ड से सम्बन्धित है, अगर रजिस्ट्री कराकर बाउण्ड्री करा लिया गया है तो कर निर्धारण एक दिवस में करा लिया जाय, किरायेदारी हो तो सह

	खातेदार के रूप में दर्ज किया जाय, लेकिन ऐसी पत्र [illegible] लम्बित न किया जाय। आगे श्री मुकेश सिंह मा0 सभासद [illegible] मो0–उमरपुर में एक मकान में पति–पत्नी रहते हैं जिसमें त्रि[illegible] पाण्डेय पति के नाम से किरायेदारी दर्ज है, इसके नामान्तरण हेतु प्रकरण 11 वर्ष से लम्बित हैं। मा0 सभासद श्री साजिद अलीम द्वारा कहा गया कि पत्रावली नं0 586 मो0–मीरमस्त श्री रमजान खॉन पूर्व सभासद के वारिसान के नाम से लम्बित है। आगे श्री मजहर सभासद ने कहा कि मो0–रिजवी खॉ में 571, 574 रफीक पुत्र हनीफ की पत्रावली लम्बित है। श्री सत्तन मा0 सभासद द्वारा कहा गया कि मकान नं0 1417 नखास त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव का वारासत नामान्तरण पत्रावली लम्बित है। श्री बसन्त प्रजापति मा0 सभासद ने कहा कि मकान नं0 16 ख्वाजगीटोला में श्री मुकेश प्रजापति की नामान्तरण पत्रावली सं0 273 लम्बित है, उस पत्रावली को प्रस्तुत किया जाय। श्री मनोज कुशवाहा मा0 सभासद द्वारा कहा गया कि मो0–आराजी गुर्जीखानी में डीह बाबा मंदिर नं0 4 व शंकर जी मंदिर नं0 6 पूर्व में समाज के नाम दर्ज होता रहा जो कि सार्वजनिक होना चाहिए। मा0 सभासद श्री मुकेश सिंह द्वारा कहा गया कि सभी सम्बन्धित पत्रावलियों का कार्य सम्पन्न होकर बोर्ड आगामी बैठक तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए क्योंकि इस पर चर्चा आगामी बोर्ड बैठक में किया जायेगा। इसी क्रम में मा0 सभासद श्री मुतब्बीर ने भी नामान्तरण पत्रावली सं0 34 जो मो0–रिजवी खां से सम्बन्धित है, प्रकरण सदन में रखा जिस पर विचार कर निर्णय लेने हेतु कहा गया। मा0 अध्यक्ष महोदय जी ने सदन से बार–बार अनुरोध किया कि विवादित पत्रावली की सुनवाई हेतु किसी नामित करने का कष्ट करें लेकिन सदन द्वारा यह कहा गया कि इस पर आगामी बोर्ड बैठक में सदन में विचार किया जायेगा।
प्रस्ताव सं0 4 टावर स्थापना नियन्त्रण एवं विनियमन उपविधि–2016 के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।	प्रस्ताव संख्या 4 सदन में पढ़ा गया जिस पर मा0 सभासद श्री मुकेश सिंह द्वारा कहा गया कि जो टावर लगेगा उससे जनता पर ब्यय भार बढ़ेगा अथवा नहीं बढ़ेगा। इस पर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासनादेश के अनुसार खाली स्थानों पर टावर लगने से पालिका द्वारा नियमतः शुल्क 30000/–लगेगा इस पर सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित उपविधि को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी एवं अग्रीम कार्यवाही की स्वीकृति दी गई।
प्रस्ताव सं0 5 आवेदन पत्र श्री अलीमंजर डेजी पौत्र शेख नुरूल हसन, मो0–मखदूमशाह अढ़न, जौनपुर शेख नूरूल हसन मेमोरियल सोसायटी (रजि0) द्वारा ताड़तला रोड पर भारत सहकारी गैस एजेन्सी के सामने श्री शकील के मकान से श्री हसीन अहमद के मकान तक जाने वाली गली का नाम समाज सेवी स्व0 शेख नूरूल हसन के नाम पर नामकरण किये जाने की संस्तुति।	प्रस्ताव सं0 5 सदन में पढ़ा गया। प्रस्ताव सं0 5 में जिस रोड का उल्लेख किया गया है, इसके अलावा मा0 सभासद के सामूहिक हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव ऐसा लाया गया कि वार्ड नं0 26 मुफ्ती मोहल्ला वार्ड में जो मार्ग ताहा के मकान से अलीघाट तक जाता है, उसका नामकरण स्थानीय सुप्रसिद्ध एवं ख्याति ब्यक्ति (महिला) श्रीमती हुॅमा मार्ग के नाम से नामकरण किया जाय, नामकरण हेतु जो बोर्ड लगेगा उसका वहन पालिका निधि से होगा।
प्रस्ताव सं0 6 श्री मुकेश सिहं मा0 सभासद के पत्रक दिनांक	प्रस्ताव संख्या 6 पढ़ा गया जिस पर श्री मुकेश सिंह मा0 सभासद द्वारा कहा गया कि श्री बसन्तू लिपिक के विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही

...01.2016 बाबत श्री बसन्तू लिपिक के निलम्बन के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी व मामले से सम्बन्धित पत्रावली लेकर बोर्ड बैठक में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।	में नामित जॉच अधिकारी कहॉ हैं ? आगे सदन द्वारा यह भी कहा गया कि केन्द्रियत कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका पालिका कार्यालय में रखी जाय। आगे श्री मुकेश सिंह मा0 सभासद द्वारा कहा गया कि श्री अशोक कुमार सरोज के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया जाय, साथ ही साथ कार्यमुक्त किया जाय। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि कार्यमुक्त करने का अधिकार हमारे में निहित नहीं है।
प्रस्ताव सं0 7 अन्य विषय।	प्रस्ताव सं0 7 जो अन्य विषय से सम्बन्धित है। मा0 अध्यक्ष की अनुमति से सदन में मा0 सभासद को अपने–अपने विचार/प्रस्ताव व्यक्त/प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दी गई। 1–मा0 सभासद श्री सदरूद्दीन द्वारा कहा गया कि मो0 मण्डी नसीब खॉ में मीना रिजवी गली में पाइप लाइन विस्तार हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया। इस पर होने वाले व्यय की भी स्वीकृति दी जाती है। 2–मा0 सभासद श्री अरूण यादव, श्री बसन्त प्रजापति, श्री सदरूद्दीन व अन्य सभासद द्वारा कहा गया कि जलकल विभागीय कार्यों को शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु जलकल अभियंता को पावर (अधिकार) दिया जाता है जिससे कि आवश्यकतानुसार पाइप लाइन विस्तार एवं लीकेज आदि समस्या कार्य का त्वरित निदान हो सके। मा0 अध्यक्ष महोदय जी द्वारा कहा गया कि जलकल अभियंता को वित्तीय पावर देने का प्राविधान नहीं है। 3–मा0 सभासद श्री अरूण यादव व श्री नन्दलाल यादव द्वारा कहा गया कि अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यालय कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है जिससे पालिका कार्य बाधित होता है। 4–मा0 श्रीमती बेबी नाज द्वारा कहा गया कि वार्ड नं0 24 में रोड, क्रासिंग अधिकांश टूटी हुई है, जनहित में उसकी मरम्मत तत्काल करायी जाय जिसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया। इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी जाती है। 5–मा0 सभासद श्री मुकेश सिंह द्वारा कहा गया कि मो0–ओलंदगंज में पाइप लाइन के विस्तार से सम्बन्धित जो प्रस्ताव मा0 सभासद रेनू पाठक द्वारा लाये गये हैं, उस पर त्वरित कार्यवाही करके दस दिवस में उत्तर उपलब्ध करायी जाय। प्रस्तुत पत्रक पर मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। 6–मा0 सभासद श्री मनोज कुशवाहा ने कहा कि जलकल से शकरमण्डी तक पाइप लाइनों में अधिकांश लीकेज, उसे एक सप्ताह में ठीक करा दिये जॉय, साथ ही साथ इसपर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी जाती है। जिसपर मा0 अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह के भीतर लीकेज ठीक कराने हेतु जलकल अभियंता को निर्देशित किया गया। 7–मा0 सभासद श्री बसन्त प्रजापति द्वारा कहा गया कि मो0 वाजिदपुर उत्तरी में भरोटी में पाइप लाइन विस्तार पड़ी है, वह बहुत खराब होने के कारण फट गई है उसके स्थान पर दूसरी पाइप लाइन डाली जाय। इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी जाती है। 8–मा0 सभासद श्री इरशाद मंसूरी ने कहा कि मो0 बलुआघाट में चौरा माता से डा0 शमीम के मकान तक पाइप लाइन, बंशराज के मकान से सन्तराम के मकान तक, राजेश के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक, सत्य प्रकाश के हाते से जंग बहादुर के मकान तक पाइप लाइन विस्तार किया जाय। इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति भी दी जाती है। 9–मा0 सभासद श्री साजिद अलीम द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि रौजा

	अर्जन वार्ड में तीन स्थानों पर पाइप लाइन विस्तार क सर्व सम्मति से पारित किया गया। इसी क्रम में मा0 सभा कि जलकल कार्यालय/भवन जर्जर है, उसकी आवश्यक करायी जाय तथा बल्लोचटोला में रूशदी के मकान से टण्डन मकान तक पाइप लाइन का विसतार किया जाय। इस पर होने वाल ब्यय की भी स्वीकृति दी जाती है जिसे सदन में सर्व सम्मति से पारित किया गया। 10–श्री मुकेश सिंह, मा0 सभासद द्वारा कहा गया कि जलकल में 15 मीनी ट्यूवेल स्वीकृत है, उसे कहाँ–कहाँ लगाया गया है ? अगर नहीं तो अभी कितने मीनी ट्यूवेल नहीं लगे तो क्यों ? इस सम्बन्ध में जलकल अभियंता द्वारा बताया गया कि ट्यूवेल लगाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्रावली उच्चाधिकारी को टेण्डर कार्यवाही के उपरांत प्रेषित की गई है जो धनाभाव के कारण बताकर उनके द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। इस पर बोर्ड द्वारा कहा गया है कि पूर्व बोर्ड बैठक में स्वीकृति दी गई थी तो क्यों नहीं हुआ, उसको जल्द से जल्द कराया जाय। जलकल अभियंता द्वारा कहा गया कि टेण्डर 31% न्यूनतम पर करने को तैयार है। इस पर मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि इस पर जल्द से जल्द नियमानुसार कार्यवाही की जाय। 11–मा0 सभासद श्री बसन्त प्रजापति द्वारा कहा गया कि प्रकाश विभाग में प्रभारी कौन है ? इस पर मा0 अध्यक्ष ने बताया कि प्रकाश प्रभारी श्री सुधीर गुप्ता हैं। 12–मा0 सभासद श्री मुकेश सिंह द्वारा कहा गया कि हमारे वार्ड में एक मीनी ट्यूवेल लगा है लेकिन वह चल नहीं रहा है, इसको रिबोर कराया जाय। इस पर ब्यय होने वाली धनराशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। आगे उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग निधि से निर्माण कार्य के जो टेण्डर/कार्य की बढ़ी धनराशि की स्वीकृति कर भुगतान किया जाय, इसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया। 13–मा0 सभासद श्री नन्दलाल जी द्वारा कहा गया कि ठेकेदार द्वारा स्थल पर कार्य कराते समय जनहित में आवश्यकता पड़ने पर स्टीमेट व बिल में बदलाव आने पर भुगतान नहीं किया जाता है, इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष जी ने कहा कि यह तकनिकी मामला है, कृपया अवर अभियंता सदन को बतायें। इस पर अवर अभियंता श्री शेषनाथ राय द्वारा बताया गया कि यह लोक निर्माण विभाग उपरोक्तानुसार भुगतान किया जाता है, इसलिए इस पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। आज तक इस प्रकार के जितने भी निर्माण कार्य कराये गये हैं उसकी स्टीमेट व बिल की अतिरिक्त आइटम की धनराशि व स्वीकृत धनराशि से बढोत्तरी धनराशि का भुगतान की स्वीकृत प्रदान की जाती है, इसे सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया। 14–मा0 सभासद श्री नन्दलाल जी द्वारा कहा गया कि मो0 मछरहट्टा में श्री महेश गुप्ता के मकान से हमजा चिस्ती तक जो निर्माण कार्य अवशेष है, उसका टेण्डर कार्य कराकर कार्य कराया जाय। इसके अवशेष धनराशि राम टाकीज से शिव शंकर कन्नौजिया के मकान तक नाली व सड़क मरम्मत करायी जाय। पुनः मा0 सभासद ने यह भी कहा पालिका कार्यालय के पीछे जो जमीन खाली करवायी गई है, उसकी बाउण्ड्री पूरी कर गेट लगवा दिया जाय। सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया, इस पर होने वाले ब्यय की भी स्वीकृति दी गई है।

	15–श्री रामजियावन मा0 सभासद ने कहा कि मो0 हरखपुर में गुड्डू मौर्या के मकान के पास क्रासिंग व एच0पी0 गैस एजेन्सी के बगल में क्रासिंग निर्माण कराया जाय। इस पर होने वाले ब्यय की स्वीकृति दी जाती है। 16–श्री विष्णु सेठ मा0 सभासद ने कहा कि मो0–ताड़तला में ज्योति इलेक्ट्रिक के पास खराब मीनी ट्यूवेल को रिबोर कराई जाय, इसको सदन ने सर्व सम्मति से पारित किया गया। इस पर होने वाले ब्यय की स्वीकृति दी जाती है। इसपर जलकल अभियन्ता द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित फर्म को नोटिस दी गई है। 17–मा0 सभासद श्री अरूण यादव ने कहा कि जिस तरह गलियों के नामकरण हुए हैं,उसी तरह से नगर के चौराहों के सौन्दर्यीकरण के साथ ही साथ महापुरूषों के नाम से किया जाय। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य चौराहे पी0डब्ल्यू0डी0 की है। इसका नामकरण नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस पर मा0 सभासद श्री अरूण यादव ने कहा कि जब चौराहों का नामकरण नहीं हो सकता तो पालिका द्वारा गलियों का नामकरण नहीं होगा। इस पर मा0 अध्यक्ष ने कहा कि जो प्रस्ताव गलियों के नामकरण हेतु आज आये हैं, उसके सम्बन्ध में क्या किया जाय ? तब मा0 सभासद ने कहा कि नामकरण नहीं किये जायेंगे। 18–श्री राम भरत यादव मा0 अध्यक्ष ने कहा कि पिछले बोर्ड की बैठक में प्रकाश विभाग द्वारा लाइट क्रय कर सिपाह क्षेत्र में प्रकाश की ब्यवस्था होनी थी लेकिन अब तक नहीं हुआ है, लगवाने की जल्द ब्यवस्था की जाय। 19–श्री मुकेश सिंह मा0 सभासद द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि राज्य वित्त आयोग/अवस्थापना/तेरहवां/चौदहवां आयोग निधि द्वारा निर्माण विभाग में जो भी कार्य कराये गये हैं, उसमें जनहित की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत स्टीमेट के अतिरिक्त यदि कोई आइटम/कार्य बढ़ाकर हुए हैं और उसकी बढ़ी धनराशि का भुगतान होना है तो ऐसे आइटम/कार्य का परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जाय। जिस पर विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत किया गयाः–

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य की बिल से बढ़ी धनराशि का विवरण

क्र0सं0	ठेकेदार का नाम	कराये गये कार्य का विवरण	प्रस्तुत बिल की धनराशि	स्वीकृत निविदा धनराशि	बढ़ी धनराशि
1	श्री ह्रदय नरायन राय	मो0 शेखपुरा में रिलायन्स टावर गली से सिद्धार्थ हार्ड वेयर तक नाली निर्माण।	1637926/–	1124000/–	513926/–
2	श्रीमती रजनी सिंह	मो0 रसूलाबाद में लालचन्द्र के मकान से अमरेश गुप्ता के मकान होते हुये जितेन्द्र के मकान तक सीवर लाईन व नाला निर्माणै।	2693019/–	2488135/–	204884/–

3	श्री बाघ सिंह	मो0 पुराना मछली शहर पड़ाव स्थित मलीन बस्ती की पुलिया से पेट्रोल टंकी तक नाला सिफ्टिंग निर्माण कार्य।	875878/—	866061/—	9817/—	
4	मेसर्स, बालाजी इण्टर प्राइजेज	मो0 हुसैनाबाद में डा0 अश्विनी चौबे की डिस्पेन्सरी से राज विडियो सेन्टर तक अकबरी रोड पर नाला निर्माण।	528437/—	518000/—	10437/—	
5	श्री जय प्रकाश यादव	मो0 बल्लोचटोला में मन्नर बिन्द (लालचन्द्र सेठ) के मकान से अचला देवी मन्दिर होते हुये गोमती नदी तक नाला निर्माण।	924632/—	1348321/—	—	नोटः— प्रस्तुत द्वितीय चालू बिल में अंकित आईटम नं0 5,8,9,10 तथा 11 मूल आगणन में न होने के कारण कमशः रूपया 4000+281750+109 250+ रू058822. 50+31446.75 कुल धनराशि रूपया—485269 कम कर दिया।
6	श्री अजय प्रकाश सिंह	मो0 सुतहट्टी में डी.वी.गुप्ता के मकान से सुतहट्टी चौराहा तक ह्यूम पाईप द्वारा जल निकासी कार्य।	832194/—	900924/—	—	नोटः— प्रस्तुत प्रथम अंतिम बिल में अंकित आईटम नं0 10 तथा 11 मूल आगणन में न होने के कारण कमशः रूपया 149800+14200 कुल धनराशि रूपया—164000 कम कर दिया गया।
7	मेसर्स, बालाजी इण्टर प्राइजेज	मो0 मण्डी नसीब खां में चम्पा पान वाले से यूनियन बैंक के सामने तक ह्यूम पाईप डालने का कार्य।	1736537/—	1323156/—	413381/—	
8	मेसर्स, बालाजी इण्टर प्राइजेज	मो0 हुसैनाबाद में स्टैट बैंक ए.टी.एम. से लाईन बाजार चौराहा हनुमान मन्दिर तक नाला निर्माण।	2055287/—	1952000/—	103287/—	
9	श्री रामजीत मौर्य	मो0 बुढ़ऊद्दीनपुर में मल्हनी रोड पर बचाऊ के मकान से चितरसारी मोड़ तक दोनों ओर नाली निर्माण।	2487610/—	1562758/—	924852/—	
10	श्री प्रदीप कुमार सोनकर	मो0 जगदीशपुर (समोपुर) में मल्हनी रोड पर संतोष वकील के मकान से मुन्नू साईकिल वाले के मकान तक दोनों ओर नाली निर्माण।	1032707/—	744231/—	288476/—	

1	श्री पवन इण्टर प्राईजेज	मो0 मखदूमशाह बड़े में मल्हनी रोड पर भरत लाल यादव के मकान से धूम साई के मकान तक दोनों ओर नाली निर्माण।	1911745/-	1054354/-	857391/-
12	श्री सुधीर कुमार सिंह	मो0 जगदीशपुर (समोपुर) में मल्हनी रोड पर विजय जायसवाल के मकान से राजन के मकान तक दोनों ओर नाली निर्माण।	2673112/-	1719808/-	953304/-
13	श्री अधीर कुमार मौर्य	मो0 मौजा मोहालगाली में गुलाब मौर्य के मकान से देवी प्रसाद के मकान तक दोनों ओर नाला निर्माण।	749006/-	453186/-	295820/-

13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्य की बिल से बढ़ी धनराशि का विवरण

क्र0सं0	ठेकेदार का नाम	कराये गये कार्य का विवरण	प्रस्तुत बिल की धनराशि	स्वीकृत निविदा धनराशि	भुगतान धनराशि	बढ़ी धनराशि
1	श्रीमती रजनी सिंह	मो0 पॉलिटेक्निक स्थित शौचालय का निर्माण कार्य।	1700069/-	1525497/-	-	174572/-
2	पवन इण्टरप्राईजेज	मो0 अजमेरी मल्हनी रोड पर रेहाना के मकान से शर्मिला साहू के मकान तक दोनों ओर नाली निर्माण।	619689/-	386757/-	-	232932/-

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य की बिल से बढ़ी धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	कराये गये कार्य का विवरण	स्वीकृत निविदा धनराशि	प्रस्तुत बिल की धनराशि	भुगतान धनराशि	बढ़ी धनराशि
1.	श्री हरिनाथ यादव	मो0 काठियाबीर में असरफ हसन मस्जिद से इलियास के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग कार्य।	217895/-	257235/-	239685/-	17550/-
2	श्री सुनील कुमार यादव	मो0 गोपालापुर में चौरामाता मन्दिर से फूलचन्द्र यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	250000/-	337621/-	250000/-	87621/-

3	श्री अधीर कुमार मौर्य	मो0 दिवानी कचहरी के पीछे से अमरपाल यादव के मकान तक नाली व सड़क सुधार कार्य।	2211840/—	2516427/—	2211840/—	
4	श्री अधीर कुमार मौर्य	मो0 ताड़तला बजरंग घाट में मजार इण्टरलाकिंग कार्य।	152835/—	184207/—	152835/—	31372/—
5	श्री रामजीत मौर्य	मो0 सुल्तानपुर हाय में चौकिया रोड पर हनुमान मन्दिर से विनोद के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	645843/—	955250/—	645843/—	309407/—
6	श्री प्रेमनाथ सिंह	मो0 मियांपुर में दिलीप सिंह के मकान से कल्लू मौर्य के मकान होते हुये धर्मदेव मौर्य के मकान तक सड़क सुधार कार्य।	941740/—	1111514/—	941740/—	169774/—
7	मेसर्स, रिद्धीमान कन्ट्रक्शन	मो0 परमानतपुर में सतीश त्यागी के मकान से यतीन्द्र नाथ त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	100000/—	170030/—	100000/—	70030/—
8	श्री रामजीत मौर्य	मो0 प्रेमराजपुर में सुशील मौर्य के मकान से राधे गुप्ता के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	1659675/—	1717111/—	1659675/—	57436/—
9	श्री रामजीत मौर्य	मो0 पानदरीबा में फरीयाद के मकान से जयप्रकाश के मकान (स्वतंत्र के मकान) तक इण्टरलाकिंग कार्य।	372350/—	445426/—	372350/—	73076/—
10	श्री रामजीत मौर्य	मो0 रिजवी खां में मुशीर जमाल खां के मकान से शाहिद जमाल खां के मकान होते हुये दिलीप सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	347000/—	363578/—	347000/—	16578/—
11	मेसर्स, बालाजी इण्टर प्राईजेज	मो0 जोगियापुर में गाढ़ा वस्त्रालय के बगल से आजमगढ़ रोड तक लिंक रोड (बाई पास) का निर्माण कार्य।	8855395/—	4401991/—	3758948/—	546596/—

[illegible]	श्रीमती मीरा सिंह	मो0 नईगंज में आर.के.जे. डी. इण्टर प्राइजेज से पेट्रोल पम्प तक हाट मिक्स प्लान्ट से सड़क निर्माण कार्य।	3556000/—	3389801/—	2055000/—	3334801/—	नोटः— आगणन की धनराशि रू0 3556000 के सापेक्ष बी0आर0जी0 एफ0 से स्वीकृत धनराशि रू0 2055000.00
13	श्री रामजीत मौर्य	मो0 अराजी गुरजीखानी में कब्रिस्तान की बाउन्ड्री से सरोज के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	371200/—	448620/—	—	77420/—	
14	श्री सुनील कुमार यादव	मो0 गोपालापुर में बबलू के मकान से लक्ष्मी मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य।	180000/—	197115/—	—	23424/—	नोटः— बिल के आईटम नं0 5 पी0वी0सी0 पाइप का कार्य आगणन में न होने के कारण रू0 23424.00 काटा गया।
15	श्री रामजीत मौर्य	मो0 वाजिदपुर उत्तरी में लालता कन्नौजिया के मकान से आशाराम मौर्य के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	410612/—	522764/—	—	112152/—	
16	श्री प्रदीप कुमार सोनकर	मो0 बेगमगंज पानदरीबा में पुरानी बाजार तिराहे से बेगमगंज चुंगी तक सड़क व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3600000/—	5312588/—	—	1712588/—	नोटः— बिल के आईटम नं0 12 तथा 13 आगणन में न होने के कारण काटी गयी धनराशि रू0 72960.00 का भी भुगतान होना है।
17	श्री मोहित कोचर	टी.डी.कालेज उत्तरी गेट से दक्षिणी गेट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2574000/—	2755107/—	—	165807/—	नोटः—जेई के आख्या अनुसार अवशेष।
18	श्री रामजीत मौर्य	मो0 सहकारी कालोनी में मछलीशहर रोड से रतनाकर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	530000/—	705086/—	—	175086/—	
19	श्री हरिनाथ यादव	मो0 मछरहट्टा में पुराना आजमगढ़ रोड से निवेदिता स्कूल तक सी. सी. रोड मरम्मत कार्य।	84923/—	169075/—	—	84152/—	

20	मेसर्स, बालाजी इण्टर प्राईजेज	मो0 तारापुर कालोनी में बजरंग सिंह के मकान से रोड नं0–9 तक इण्टरलाकिंग कार्य।	252351/–	288394/–	–	36043/–

उपरोक्त विवरण का अवलोकन कर अतिरिक्त कराये गये आइटम/कार्य पर बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान हेतु सदन द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई। उपरोक्त कार्यवृत्ति की पुष्टि की गई।

अन्त में मा0 अध्यक्ष जी ने बोर्ड की उक्त बैठक को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होने पर सभी मान्य सभासद/अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद देते हयु बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(दिनेश टण्डन)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, जौनपुर।